सरकारी नौकरी के लिए कम्प्यूटर डिप्लोमा होगा अनिवार्य

डिंडौरी। प्रदेश सरकार द्वारा राज पत्र में संशोधन के बाद जिला मुख्यालय के कम्प्यूटर कॉलेजों में छात्र-छात्राओं की भीड़ प्रवेश के लिए बढ़ गई है। संशोधित राज पत्र में सहायक ग्रेड 3 के लिए मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था से 12 वीं उत्तीर्ण होने के साथ कम्प्यूटर अनुप्रयोग में एक वर्षीय प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य कर दिया है। जिला मुख्यालय में संचालित माइक्रोटेक कम्प्यूटर कॉलेज संचालक केएस राजपूत ने बताया कि शासन के निर्णय के बाद छात्र-छात्राओं का रूझान डीसीए और पीजीडीसीए डिप्लोमा के लिए बढ़ा है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, स्टेनों व सभी शासकीय नौकरी में कम्प्यूटर डिप्लोमा शासन द्वारा अनिवार्य किया गया है। इस आशय की जानकारी मप्र राजपत्र में 3 फरवरी 2018 को प्रकाशित किया गया है। श्री राजपूत ने बताया कि कम्प्यूटर डिप्लोमा, डिग्री को अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त या स्टेट विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थाओं के डिप्लोमा डिग्री मान्य होंगे।

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 91]　　भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 फरवरी 2018—माघ 14, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2018

क्रमांक एफ 16–191–2006–एक–7–1–स्था.– संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग मे लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सचिवालय सेवा भरती नियम, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. अनुसूची –तीन में, कॉलम (2) में, सरल क्रमांक 2, 3 एवं 4 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2 सहायक ग्रेड—3	18	25	1. मान्यता प्राप्त किसी मंडल/संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण। 2. निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में एक वर्षीय पत्रोपाधि/ प्रमाण—पत्र होना अनिवार्य है:— (क) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से ; (ख) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से; (ग) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा। (घ) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स; (ङ) राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षा परिषद् (N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक परीक्षा परिषद् (S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण—पत्र। अथवा उपरोक्त निर्दिष्ट संस्थाओं से बी.ई (सी.एस.ई/ आई.टी) /एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.)/ बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.)/ एम.टेक./एम.ई. इत्यादि। अथवा

				ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर सांईस/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नालाजी। **टीपः** बी.एस.सी./बी.कॉम./ अन्य उपाधियां जिनमें केवल कम्प्यूटर केवल एक विषय के रूप में सम्मिलित है मान्य नहीं होगी। 3. हिन्दी मे 20 शब्द एवं अंग्रेजी मे 30 शब्द प्रति मिनिट की गति से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण–पत्र (स्कोर कार्ड)
	3 स्टेनो टायपिस्ट	18	25	1. मान्यता प्राप्त किसी मंडल/संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण। 2. निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में एक वर्षीय पत्रोपाधि/ प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य है:– (क) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से ; (ख) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से; (ग) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा। (घ) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स; (ङ) राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षा परिषद् (N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक परीक्षा परिषद् (S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण–पत्र। अथवा उपरोक्त निर्दिष्ट संस्थाओं से बी.ई (सी.एस.ई/ आई.टी) /एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी. (आई. टी./सी.एस.)/ बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.)/ एम.टेक./एम.ई. इत्यादि। अथवा ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर सांईस/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नालाजी ।

				टीपः बी.एस.सी./बी.कॉम./ अन्य उपाधियां जिनमें केवल कम्प्यूटर केवल एक विषय के रूप में सम्मिलित है मान्य नहीं होगी। 3. हिन्दी मे 20 शब्द एवं अंग्रेजी मे 30 शब्द प्रति मिनिट की गति से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण–पत्र (स्कोर कार्ड) 4. मान्यता प्राप्त संस्थाओं/परिषद् से 80 शब्द प्रतिमिनिट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन उत्तीर्ण होने का प्रमाण–पत्र
	4 स्टेनोग्राफर	18	25	1. मान्यता प्राप्त किसी मंडल/संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण। 2. निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में एक वर्षीय पत्रोपाधि/ प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य हैः– (क) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से ; (ख) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से; (ग) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा। (घ) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स; (ङ) राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षा परिषद् (N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक परीक्षा परिषद् (S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण–पत्र। अथवा उपरोक्त निर्दिष्ट संस्थाओं से बी.ई (सी.एस.ई/ आई.टी) /एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.)/ बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.)/ एम.टेक./एम.ई. इत्यादि। अथवा ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साईस/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नालाजी।

				टीप: बी.एस.सी./बी.कॉम./ अन्य उपाधियां जिनमें केवल कम्प्यूटर केवल एक विषय के रूप में सम्मिलित है मान्य नहीं होगी। 3. हिन्दी मे 20 शब्द एवं अंग्रेजी मे 30 शब्द प्रति मिनिट की गति से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण–पत्र (स्कोर कार्ड) 4. मान्यता प्राप्त संस्थाओं/परिषद् से 100 शब्द प्रतिमिनिट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन उत्तीर्ण होने का प्रमाण–पत्र

2. अनुसूची–तीन के अंत में, निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जाए, अर्थात्:–

"टीप–(1) सा0प्र0विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3–8/2016/3–एक, दिनांक 12 मई, 2017 के अनुसार म.प्र. के मूल निवासियों के लिए सीधी भर्ती के पदों हेतु आयु–सीमा में निम्नानुसार अधिकतम छूट होगी:–

(एक)	पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	25+15=40
(दो)	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	25+20=45
(तीन)	पुरूष/महिला आवेदक (शासकीय/निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	25+20=45
(चार)	पुरूष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग–अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	25+20=45
(पांच)	पुरूष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग–शासकीय/ निगम /मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	25+20=45
(छह)	निःशक्तजन आवेदकों के लिए	25+20=45
प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु–सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी।		

(2) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के समस्त पदो के आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजियन होना अनिवार्य है।"।